राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

20 FEB 2018

प.18(36)नविवि/NAHP/2014पार्ट जयपुर, दिनांक 20-2-18

आदेश

विषयः—मुख्यमंत्री जन आवास योजना—2015 के विभिन्न प्रावधानों में संशोधन बाबत्।

मुख्यमंत्री जन आवास योजना के सुचारू संचालन तथा इस से संबंधित इसमें आने वाली कठिनाईयों के निराकरण हेतु माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग एवं आवासन विभाग की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति (High Power Committee) की बैठक दिनांक 18.01.2018 में निम्नानुसार निर्णय लिये गये :—

1. मुख्यमंत्री जन आवास योजना—2015 के प्रावधान—1A में 5000 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल की फ्लैटड डवलपमेंट की योजनाओं में ई.डब्ल्यू.एस/एल.आई.जी श्रेणी हेतू वर्तमान प्रावधान निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :—
   मुख्यमंत्री जन आवास योजना—2015 के वर्तमान प्रावधान के अनुसार 5000 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल की फ्लैटड डवलपमेंट की योजनाओं में कुल एफ.ए.आर. का 7.5 प्रतिशत एफ.ए.आर. क्षेत्र का शुल्क राशि रु. 100/— प्रति वर्गफीट लिये जाने का प्रावधान है। 5000 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल की फ्लैटेड डवलपमेंट की योजनाओं में कुल बी.ए.आर. क्षेत्र का 11.25 प्रतिशत बी.ए.आर. (7.5% FAR) क्षेत्र पर राशि रु 100/— प्रति वर्गफीट के हिसाब से लिया जावें।

   अथवा

   विकासकर्ता यदि चाहे तो 11.25 प्रतिशत बी.ए.आर. (7.5% FAR) ई.डब्ल्यू.एस/एल.आई.जी श्रेणी हेतु निर्मित कर सकता है। उक्त स्वीकृत किये जाने वाले बी.ए.आर. की एवज में प्रोत्साहन स्वरूप 0.5 बी.ए.आर. निःशुल्क स्टैण्डर्ड बी.ए.आर. के अतिरिक्त अनुज्ञेय किया जाता है। ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. श्रेणी हेतु निर्मित आवास पॉलिसी में निर्धारित आवंटन दर (वर्तमान आवंटन दर रु 1200/— प्रति वर्गफीट) पर नियमानुसार आवंटन किये जावेंगें।
2. प्रावधान—1सी (ii) के प्रकरणों में बाह्य विकास कार्य हेतु निर्धारित रुपये 50/— प्रति वर्ग फिट की राशि स्थानीय निकाय के स्थान पर, विकासकर्ता को दिए जाने का प्रावधान सम्मलित किया जाता है।
3. प्रावधान—1 सी के प्रकरणों में चूकि औधोगिक प्रयोजनार्थ पूर्व से ही पट्टे जारी किये हुए है, अतः प्रावधान—1 सी के तहत आवेदित प्रकरणों में 5 प्रतिशत सुविधा क्षेत्र अलग से नगरीय निकायों को समर्पित किया जाना आवश्यक नही है।
4. प्रावधान 1—सी में शहरों की जनसंख्या के अनुरूप निम्नानुसार प्रावधान सम्मलित किया जाता है :—
   मुख्यमंत्री जन आवास योजना—2015 के प्रावधान— 1 सी के सभी प्रावधानों में प्रावधान 3 बी के अनुरूप जी+2 तक का निर्माण 120 ईकाई प्रति एकड निर्माण किये जाने की बाध्यता को समाप्त करते हुए शहरों की जनसंख्या के अनुरूप निम्नानुसार भवन के न्यूनतम तल (फ्लोर) निर्धारित किये जाते हैः—

   - एक लाख तक की आबादी वाले शहरों में न्यूनतम भूतल तथा अधिकतम भूतल +2 मंजिल।
   - एक लाख से अधिक एवं दो लाख तक की आबादी वाले शहरों में न्यूनतम भूतल+ 1 मंजिल तथा अधिकतम भूतल+2 मंजिल।
   - दो लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में न्यूनतम भूतल+2 मंजिल।